

राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/अति. कक्षा-कक्ष / 20-21 / 25762-70 दिनांक : 24.10.2020

उपायुक्त,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
बांसवाडा।

विषय : राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 23967-74 दिनांक 08.10.2020 द्वारा निम्नांकित विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत को नियुक्त किया गया है।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति बांसवाडा एवं छोटीसरवन से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई। प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में वर्णित कार्य हेतु कॉलम संख्या-6 में अंकित राशि अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

(राशि लाख रु. में)

क्र.स.	कार्य का नाम व स्थान	ग्रा.पं.	प्रशा.स्वी. अनुसार राशि	तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी	
				तक.स्वी.क्र. /दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	तीन कक्षा-कक्ष निर्माण रा.प्रा.वि. वगेरी	नलदा	25.00	XEN/ZP/BSW 83/ 19.10.20	25.00
2	हॉल निर्माण मय टीनशेड निर्माण रा.उ.मा.वि. गणाउ	गणाउ	20.00	XEN/ZP/BSW 84/ 19.10.20	20.00
3	तीन कक्षा-कक्ष निर्माण रा.उ.मा.वि. महेशपुरा	महेशपुरा	25.00	XEN/ZP/BSW 85/ 19.10.20	25.00
4	दो कक्षा-कक्ष निर्माण रा.उ. मा. वि. बोरखाबर	बोरखाबर	12.00	AEN/ZP/BSW 119/ 19.10.20	12.00
5	दो अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण रा. प्रा.वि. मेदिया कटारा	वीरपुर	12.00	AEN/ZP/BSW 120/ 19.10.20	12.00
6	दो कक्षा-कक्ष निर्माण रा.प्रा.वि. अन्नपुरा	वीरपुर	12.00	AEN/ZP/BSW 121/ 19.10.20	12.00
7	दो अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण रा.उ. मा.वि. छाजनबडी	छाजनबडी	12.00	AEN/CHSAR VANI/2 19.10.20	12.00
8	दो अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण रा.उ. प्रा.वि. ढाकनियापाडा (तिलगारी)	जहाँपुरा	12.00	AEN/CHSAR VANI/3 19.10.20	12.00
		योग	130.00		130.00

विभागीय पत्रांक 22538-82 दिनांक 25.09.2020 द्वारा रा.उ.मा.वि. झूपेल में 2-अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को नियुक्त किया गया था। माननीय मंत्री महोदय टीएडी के अ.शा. टी क्रमांक SP-12 दिनांक 19.10.2020 द्वारा उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के तहत बांसवाडा जिला अन्तर्गत क्र.सं. 8 पर अंकित कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत को नियुक्त करने के निर्देश के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत को नियुक्त किया जाता है।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 मे वर्णित कार्यो हेतु कॉलम संख्या-6 मे अंकित राशि की निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

जिला-बांसवाडा		कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत			(राशि लाख रु. मे)	
क्र.सं.	कार्य का नाम व स्थान	ग्रा.पं.	तहसील	तकनीकी स्वीकृति क्र. /दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6	
1	2-अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार. रा.उ.मा.वि. झूपेल	झूपेल	बांसवाडा	XEn/RDPRD/PS/Bansw ara/86/19.10.2020	20.00	

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं-77/18-19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational instiutions. हेतु प्राप्त राशि में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

शर्त-


1. यदि कोई कार्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए निविदा आमंत्रित कर कार्य का सम्पादन किया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।
5. विभागीय अभियंताओ एवं प्लेसमेंट के माध्यम से आई.टी.डी.पी. अन्तर्गत कार्यरत अभियंताओ के माध्यम से कार्यो का निरीक्षण करवाया जावेगा।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे। निर्माण कार्य के एलिवेशन की प्रति प्रेषित करें। कॉलम स्ट्रक्चर निर्माण सुनिश्चित करावे।
7. कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
8. जिन कार्यो की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई है उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विभाग इन कार्यो हेतु राशि का हस्तान्तरण संबंधित पंचायत समिति को करेंगे।
9. निर्मित कमरों के स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जावे। साईन बोर्ड पर टीएडी द्वारा निर्मित, स्वीकृति का वर्ष, स्वीकृत राशि, व्यय राशि आदि का अंकन किया जावे।

-sd-

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)  
आयुक्त

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/अति. कक्षा-कक्ष /20-21/25762-70 दिनांक : 24.10.2020  
प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर बांसवाडा।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अर्न्तगत शासन की स्वीकृति सं-77/18-19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational instiutions. हेतु प्राप्त राशि में से उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को राशि रुपये 120.00 लाख (अक्षरे एक करोड बीस लाख रुपये मात्र) हस्तांतरित करें।
5. विकास अधिकारी, पं.स. बांसवाडा, जिला बांसवाडा।
6. प्रभारी अधिकारी मॉनिटरिंग/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
7. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, रा.उ.मा.वि. गणाउ, महेशपुरा, बोरखाबर, झूपेल/रा.प्रा.वि. वगेरी, वीरपुर, अन्नपुरा, पं.स. बांसवाडा, जिला बांसवाडा।
8. गार्ड पत्रावली।

  
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)